भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1830

उत्तर देने की तारीख : 29.07.2026

अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

1830. श्री वीरेन्द्र सिंह:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों विशेष रूप से मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, बौद्धों, जैनों और पारसियों के लिए कार्यान्वित की जा रही शैक्षिक छात्रवृत्ति, कौशल विकास, स्वरोजगार और सशक्तिकरण करने की अन्य योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले अल्पसंख्यकों तक इन योजनाओं के लाभ प्रभावी ढंग से किस हद तक पहुंचे हैं और इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजनाओं की पारदर्शिता, निगरानी और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में आ रही मुख्य चुनौतियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत में छह (6) केंद्रीय रूप से अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, पारसी और सिख के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण के लिए निम्नलिखित योजनाएं लागू करता है:

1. शैक्षिक छात्रवृत्ति योजनाएं (पुरातन मामले):

- मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना;
- मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना; और
- मेरिट-सह-साधन छात्रवृत्ति योजना;

एक व्यापक समीक्षा के बाद इन तीनों छात्रवृत्ति योजनाओं को शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से आगे जारी रखने की मंजूरी नहीं दी गई थी। परिणामस्वरूप, इसके बाद कोई नई छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है। हालांकि, स्वीकृत दिशानिर्देशों के अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के नवीनीकरण लाभार्थियों से जुड़ी प्रतिबद्ध देनदारियां जारी कर दी गई हैं।

इसके अलावा, वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार मौजूदा लाभार्थियों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (MANF) के तहत देनदारी भुगतान अभी भी जारी हैं।

इन योजनाओं के लाभ अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को प्राथमिकता देते हुए सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों और कार्यान्वयन संस्थानों के माध्यम से देश भर में, जिसमें ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र भी शामिल हैं, पहुंचाए जा रहे हैं।

2. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK)

PMJVK, जो कि एक केंद्र प्रायोजित योजना है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। इसका उद्देश्य देश के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य, कौशल विकास, शिक्षा, महिला केंद्रित परियोजनाओं, पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, खेल, नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य सामुदायिक बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में सामुदायिक अवसंरचना का निर्माण करना है। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में 16,251 करोड़ रुपए के केंद्रीय हिस्सा से कुल 5.10 लाख बुनियादी ढांचा इकाइयां तैयार की गई हैं।

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम एक सामुदायिक बुनियादी ढांचा विकास योजना है, और इसलिए विकसित किया गया बुनियादी ढांचा संबंधित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों की पूरी आबादी के लाभ के लिए है।

3. प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (PM VIKAS)

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय पूरे भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक स्तर में सुधार के लिए पीएम विकास योजनाओं को लागू कर रहा है।

पीएम विकास योजना भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। मंत्रालय द्वारा चयनित पात्र परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों, सरकारी संस्थानों, केंद्र एवं राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों, अल्पसंख्यक समुदाय के संस्थानों, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों तथा उत्कृष्टता संस्थानों के माध्यम से योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत इस योजना का कार्यान्वयन किया जाता है।

पीएम विकास योजना के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के लाभार्थियों, जिनमें कारीगर, पारंपरिक शिल्पकार तथा आर्थिक रूप से कमजोर अल्पसंख्यक परिवार शामिल हैं, को कौशल विकास, उद्यमिता सहायता तथा आजीविका के अवसर प्रदान किए जाते हैं।

पीएम विकास योजना के अंतर्गत कुल 59 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 1.56 लाख लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य आवंटित किया गया है। अब तक 32,138 अभ्यर्थियों को मूल्यांकन के लिए प्रशिक्षित किया जा चुका है।

4. जियो पारसी (JIYO PARSI)

जियो पारसी केंद्रीय क्षेत्र की एक अनूठी योजना है, जिसे वर्ष 2013-14 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक प्रोटोकॉल और संरचित हस्तक्षेपों को अपनाकर पारसी आबादी की घटती प्रवृत्ति को रोकना, उनकी आबादी को स्थिर करना और भारत में पारसियों की जनसंख्या को बढ़ाना है। इस योजना के दो घटक है:

i) बांझपन संबंधी उपचार हेतु वित्तीय सहायता – यह वित्तीय सहायता पारसी दंपतियों को बांझपन संबंधी के उपचार, गर्भावस्था संबंधी जटिलताओं, प्रसव तथा नवजात शिशु से संबंधित जटिलताओं के उपचार के लिए प्रदान

की जाती है। यह सुविधा उन पारसी दंपतियों के लिए उपलब्ध है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 30 लाख रुपए तक है।

ii) समुदाय का स्वास्थ्य – पारसी दंपतियों को बच्चों तथा आश्रित बुजुर्ग परिवारजनों (60 वर्ष या उससे अधिक आयु) की देखभाल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना; यह सुविधा उन पारसी दंपतियों के लिए उपलब्ध है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 15 लाख रुपए तक है। इस घटक के अंतर्गत: मौजूदा बच्चों तथा नवजात शिशु/शिशुओं की देखभाल के लिए 18 वर्ष की आयु तक 8,000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रत्येक आश्रित बुजुर्ग (60 वर्ष या उससे अधिक आयु) की देखभाल के लिए 10,000 रुपए प्रति माह प्रति आश्रित बुजुर्ग की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

5. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) के कार्यक्रम

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कार्यरत है। क्रेडिट लाइन-1 के अंतर्गत 3.00 लाख रुपए तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले व्यक्ति एनएमडीएफसी की योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। क्रेडिट लाइन-2 के अंतर्गत वार्षिक पारिवारिक आय की पात्रता 8.00 लाख रुपए तक की हैं। एनएमडीएफसी अपनी योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा नामित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से करता है।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 22.11.2022 से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्थान पर एनएमडीएफसी को कार्यान्वयन एजेंसी नामित किया था। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना को बंद कर दिया है। तथापि, पहले से चयनित सभी MANF छात्र अपनी स्वीकृत अवधि पूर्ण होने तक मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अधीन अध्येतावृत्ति के लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

एनएमडीएफसी की रियायती ऋण योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नामित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से प्रदान की जाती है। ये एजेंसियां ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों सहित मूलभूत स्तर पर इन योजनाओं का कार्यान्वयन करती हैं।

(ग) और (घ): योजनाओं के समक्ष आने वाली चुनौतियों के समाधान हेतु प्रक्रियागत सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:

1. **छात्रवृत्ति:** योजनाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने कई उपाय किए हैं, जिनमें: आवश्यतानुसार संपूर्ण ऑनलाइन प्रोसेसिंग के साथ डिजिटल मंच के माध्यम से कार्यान्वयन, लाभार्थियों के आधार-संबद्ध बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से भुगतान, छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए उनकी संचालन अवधि के दौरान आधार-संबंधित प्रमाणीकरण और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) के साथ एकीकरण, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समय-समय पर निगरानी और समीक्षा बैठकें, वास्तविक निरीक्षण, रिकॉर्ड की लेखा परीक्षा और सत्यापन, जहाँ भी अनियमितताएं पाई गई हैं, वहाँ एफआईआर दर्ज करने सहित वसूली संबंधी कार्रवाही और कानूनी कार्रवाई करना, डेटा एनालिटिक्स, सत्यापन प्रक्रियाओं और अंतर-एजेंसी समन्वय के माध्यम से निगरानी तंत्र को मजबूत करना, कार्यान्वयन में सुधार करने, मुद्दों को हल करने और समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित परामर्श करना शामिल है। सरकार योजनाओं के कार्यान्वयन तंत्रों की लगातार समीक्षा

एवं सुदृढ़ीकरण कर रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कल्याणकारी योजनाओं के लाभ पात्र लाभार्थियों तक पारदर्शी, जवाबदेह एवं प्रभावी ढंग से पहुँचें।

2. **प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK):** PMJVK दिशानिर्देशों के तहत मामलानुसार स्वीकृत परियोजना इकाइयों का निष्पादन, संचालन और रखरखाव करना पूर्ण रूप से संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की जिम्मेदारी है। हालांकि, स्वीकृत परियोजना इकाइयों के निष्पादन में देरी होना एक प्रमुख चुनौती के रूप में देखा गया है।

परियोजना कार्यान्वयन में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने एक विशिष्ट PMJVK पोर्टल विकसित किया है, जो प्रस्ताव प्रस्तुत करने से लेकर अनुमोदन, धन जारी करने और परियोजना पूरा होने तक के पूरे कालचक्र की निगरानी के लिए एक संपूर्ण डिजिटल मंच प्रदान करता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस पोर्टल पर वास्तविक समय की प्रगति रिपोर्ट, जियो-टैग्ड तस्वीरें और माइलस्टोन अपडेट अपलोड करते हैं।

इसके अलावा, सीधे परियोजना स्थलों से जियो-टैग्ड तस्वीरों और डेटा अपलोड के माध्यम से फील्ड-स्तरीय रिपोर्टिंग की सुविधा के लिए **NIGRANI मोबाइल ऐप** लॉन्च किया गया है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म रीयल-टाइम निगरानी को सक्षम बनाते हैं, पारदर्शिता बढ़ाते हैं और जहाँ भी आवश्यकता हो, समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करने में सहायता करते हैं। ये तंत्र यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि अल्पसंख्यक समुदायों को शिक्षा, कौशल विकास और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं से जुड़े बुनियादी ढांचे का वांछित लाभ कुशल और पारदर्शी तरीके से मिले।

3. **पीएम विकास (PM VIKAS):** पारदर्शिता और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए पीएम विकास योजना को भारत सरकार की सभी कौशल विकास योजनाओं की तरह **'कौशल भारत डिजिटल हब' (SIDH)** पोर्टल के माध्यम से लागू किया जाता है। मंत्रालय ने अलग-अलग ज़ोन के केंद्रों की समवर्ती निगरानी के लिए एक तृतीय पक्ष एजेंसी का चयन किया है।

4. **जियो पारसी (Jiyo Parsi):** जियो पारसी योजना के कार्यान्वयन में प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित है:

- सूक्ष्म समुदाय की लक्षित आबादी का भौगोलिक रूप से बिखरा होना तथा पात्र लाभार्थियों के बीच योजना के संबंध में सीमित जागरूकता।
- इन चुनौतियों के समाधान के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें आवेदनों के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण, प्रोसेसिंग और निगरानी के लिए विशिष्ट मेडिकल पोर्टल और समुदाय का स्वास्थ्य पोर्टल का विकास शामिल हैं;
- योजना के समुदाय का स्वास्थ्य और मेडिकल घटक के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए लाभार्थी सत्यापन ऐप का एकीकरण;
- निगरानी को मजबूत करने के लिए राज्य सरकारों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें; और
- योजना के तहत पहुंच और भागीदारी में सुधार के लिए समुदाय-आधारित समाचार पत्रों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से निरंतर जागरूकता तथा आउटरीच प्रयास।

जियो पारसी योजना के संबंध में सुझाव प्राप्त करने और जागरूकता फैलाने के लिए जियो पारसी सलाहकार समिति का भी गठन किया गया है।

5. एनएमडीएफसी (NMDFC): जहाँ तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) का संबंध है, यह अपनी रियायती ऋण योजनाओं के पारदर्शी और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय करता है:-

(i) योजनाओं की वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करने, कार्यान्वयन संबंधी समस्याओं का समाधान करने तथा योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को बेहतर बनाने के लिए आवधिक क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें समय-समय पर एससीए के साथ आयोजित की जाती हैं।

(ii) योजनाओं की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए समय-समय पर स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेंसियों के माध्यम से लाभार्थी सत्यापन एवं प्रभाव आकलन अध्ययन कराए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, एनएमडीएफसी के अधिकारियों को भी योजनाओं के मूल्यांकन हेतु प्रतिनियुक्त किया जाता है।

(iii) लाभार्थियों के बैंक खातों में ऋण सहायता के सीधे हस्तांतरण को आसान बनाने के लिए आधार-लिंक्ड/KYC-आधारित बैंक खातों को अपनाया जा रहा है।

(iv) अप्रत्याशित आपदाओं से लाभार्थियों और उनके परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए योजनाओं के तहत लाभार्थियों और वित्तपोषित परिसंपत्तियों का अनिवार्य बीमा शामिल किया गया है।

(v) पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लाभार्थियों की जानकारी एनएमडीएफसी के प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) पोर्टल पर डाली गई है और SCAs को सलाह दी गई है कि वे सार्वजनिक डोमेन में अपनी संबंधित वेबसाइटों पर लाभार्थी का विवरण उपलब्ध कराएं।

(vi) "न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" के सिद्धांत के अनुसार, ऋण स्वीकृत करने की प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाने के लिए SCAs को निवास, धर्म, आय, शैक्षणिक योग्यता आदि से संबंधित स्व-प्रमाणित दस्तावेज स्वीकार करने की सलाह दी गई है।
